विधान सभा प्रश्न

तत्काल / आज ही

कार्यालय पंजीयक सहकारी समितिया
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
ओल्ड कोर्ट बिल्डिंग संसद मार्ग नई दिल्ली - 110001

फा0 संख्या : F.47/RCS/TC/AQ/CDNo.10765 7675/1340 दिनांक 28/07/2021

सेवा मे

उप सचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली - 110054

विषयः– उत्तर अतारांकित प्रश्न स0 151 दिनांक 30.07.2021 के लिए।

महोदय,

आपके पत्र दिनांक 22/07/2021 के संदर्भ में प्रश्न संख्या 151 का उत्तर प्रेषित है जो की विभागाध्यक्ष द्वारा स्वय हस्ताक्षरित है और माननीय मंत्री (पंजीयक) द्वारा अनुमोदित है तथा निर्देशानुसार 100 प्रतिलिपियां एवम् सॉफ्ट कॉपी पेनड्राइव मे संलग्न है।

संलग्न :-

(1) 100 प्रतिलिपियां
(2) पेनड्राइव मे सॉफ्ट कॉपी

O/C

अरफ़ी
28/7/2021
(अशफाक़ अहमद अरफ़ी)

सहायक पंजीयक (समन्वय)

विभाग का नाम :-- पंजीयक सहकारी समितिया

विभाग का पता :-- ओल्ड कोर्ट बिल्डिंग संसद मार्ग नई दिल्ली 110001

अतारांकित प्रश्न संख्या :-- 151

दिनांक :- 30.07.2021

प्रश्नकर्ता का नाम :-- श्री विशेष रवि, माननीय सदस्य

क्या उपमुख्यमंत्री / मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :--

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या यह सत्य है कि मेरे द्वारा दिनांक 24.05.2015 को माँ झण्डेवालान सोसाइटी में वित्त्य अनिमियताओ के सम्बन्ध में कि गई शिकायत पर जांच के आदेश दिए गए थे और विभाग में एक निरिक्षण रिपोर्ट भी जमा कराई गई थी,	हाँ यह सत्य है।
(ख) यदि हां तो इस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई है	उपयुक्त शिकायत 24.05.2015 को प्राप्त होने के बाद विभाग ने धारा 61 डीसीएस अधिनियम 2003 के तहत श्री पंकज कुमार महाप्रबंधक डीसीसीडब्ल्यूएस को जाँच करने के लिए नियुक्त किया। तत्पश्चात जाँच अधिकारी ने अपने पत्र 08.12.2015 द्वारा जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की परंतु जाँच अधिकारी के नियुक्ति आदेश दिनांक 18.09.2015 को सोसाइटी ने वित्त आयुक्त न्यायालय मे चुनौती दी जिसका केस संख्या 327/2015 है। वित्त आयुक्त न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 04.12.2018 द्वारा जाँच अधिकारी की नियुक्ति को निरस्त कर दिया। तत्पश्चात सोसाइटी के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता एवम कुप्रबंध से सम्बंधित अनेक शिकायतें प्राप्त हुई है जिनको संज्ञान में लेते हुए सोसाइटी के विरुद्ध धारा 37 (1) डीसीएस अधिनियम 2003 के तहत 02.07.2021 को नोटिस किया गया है।
(ग) यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण है?	उपरोक्त (ख) को देखते हुए लागू नहीं है।

हस्ताक्षर

(देविन्द्र सिंह)

विभागाध्यक्ष

DEVINDER SINGH, IAS
Secretary (Co-op)-cum-Registrar (Co-op Societies)
Govt. of N.C.T. of Delhi.
Old Court Building,
Parliament Street, New Delhi-110001